



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07042022-234957
CG-MH-E-07042022-234957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1618]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944

No. 1618]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 6 अप्रैल 2022

का.आ. 1701(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008, की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4), में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में मध्य प्रदेश राज्य में रतलाम - इंदौर - डा. अम्बेडकर नगर - खंडवा आमान परिवर्तन (298.60 कि.मी.) की विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व सक्षम अधिकारी, बड़वाह	बड़वाह एवं सनावद	खरगोन

[फा. सं. ई आफिस - (E-274540-1)]

महावीर सिंह, मुख्य अभियंता (निर्माण) IV

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th April, 2022

S.O. 1701(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Gauge Conversion of Ratlam Indore Dr. Ambedkar Nagar Khandwa (298.60 Km) in the State of Madhya Pradesh relating to Sub- Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub-Divisional Officer & Competent Authority, Barwah	Barwah & Sanawad	Khargone

[F. No. E-Office E-274540-1]

MAHAVIR SINGH, Chief Engineer /Construction-IV